B.A.III(H)
Paper: 6

Q:- 1919 ई० के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। (माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) का वर्णन करें।

1919 ई० के अधिनियम के मुख्य प्रावधान : I

Ans:- प्रथम विश्वयुद्ध के शुरू होने के पश्चात् ब्रिटेन की भारत में राजनैतिक एवं प्रशासनिक कठिनाईयाँ काफी बढ़ गई थी। 1916 ई. के पूना में कांग्रेस के अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों में समझौता हो चुका था एवं लखनऊ समझौता के द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी एकता स्थापित हो चुकी थी। अब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग प्रांतों में स्वायत्त शासन तथा केंद्र में बड़े पैमाने पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की माँग कर रही थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार पर पूर्ण स्वशासन लागू करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तिलक एवं ऐनी बेसेंट द्वारा होमरूल आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा था फलस्वरूप, विरोधी दलों के राजनैतिक दबाव तथा प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत मंत्री लॉर्ड माण्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की, " महारानी की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्ण सहमत है, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को

अधिक-से-अधिक शामिल होना तथा स्वशासन संस्थाओं का शनैः-शनैः विकास है। --- ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो --- इस उद्देश्य से मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि इस नीति में विकास केवल विभिन्न चरणों में ही संभव है।" अगस्त घोषणा के पश्चात भारत मंत्री मौंटेग्यू के साथ एक दल राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत आया। एक समिति सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु, चार्ल्स राबर्ट की अध्यक्षता में बनाई गयी, जिसने भारत मंत्री मौंटेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड को प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया। जुलाई 1918 ई० में 'मौंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट' प्रकाशित की गई, जो 1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 ई० में लागू किया गया।

1919 ई० के अधिनियम के अंतर्गत प्रान्तीय तथा केंद्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का वितरण

न्यागमन नियमों (devolution rules) के तहत किया गया था। इस व्यवस्था ने भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक (unitary) से संघात्मक (federal) में परिवर्तित करने के लिए मार्ग तैयार कर दिया। शक्तियों का विभाजन बहुत ही लचीला था, सामान्यत: संघात्मक सरकार जैसा कठोर (rigid) नहीं। केन्द्रीय सरकार के पास कानून-निर्माण की वे बची हुई शक्तियाँ (concurrent powers) थीं जो प्रांतीय विधान सभा से संबंधित थीं।

1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम ने अपने आमुख में वे सिद्धांत प्रस्तुत किये जिसके आधार पर इस देश में धीरे-धीरे सुधार किये जाने थे। ये सिद्धांत थे – (1) ब्रिटिश भारत "साम्राज्य का अभिन्न अंग" बना रहेगा, (2) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य इस देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है, (3) "इस नीति को प्रभावी चरणों में ही अपनाया जा सकता है, (4) "प्रत्येक प्रगति का समय और तरीका संसद द्वारा ही निश्चित हो सकेगा, जिसमें संसद

दो तथ्यों से निर्देश ग्रहण करेगी - (अ) सेवा का जो नया अवसर लोगों को दिया जायेगा, उसके सहयोग पर और (ब) "जिस सीमा तक उनमें विश्वास किये जाने योग्य हो या उत्तरदायित्व सौंपा जाने योग्य हो" और (5) स्वशासन के विकास के लिए दो चीजें आवश्यक हैं - (अ) "भारतीयों का भारतीय प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता सहयोग, और (ब) धीरे-धीरे "स्वशासी संस्थाओं का विकास।"

1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधा

(1) इस अधिनियम के द्वारा भारत-मंत्री को वेतन आदि भारतीय राजस्व की जगह ब्रिटिश राजस्व से मिलना तय हुआ। भारत-मंत्री के कुछ कार्य नवगठित अधिकारी Indian High comissioner को सौंपे गये। यह अधिकारी कौंसिल-स्थित गवर्नर-जनरल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तथा इसे स्टोर विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग आदि का कार्य-भार मिलना था।